



KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual



PRABHU SIR

संघ का वास्तविक प्रमुख → Real Head.

प्रमुख → अध्यक्ष - प्रधानमंत्री

↳ उम्र - 25 वर्ष

↳ दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन सदस्य हों।

→ संघ का मंत्रिपरिषद्

राज्य का मंत्रिपरिषद् State Council of Ministers

→ अध्यक्ष

मुख्यमंत्री

↳ यदि सदस्य नहीं भी है तो 6 मंत्रियों के भीतर

राज्य का मंत्रिपरिषद् State Council of Ministers

अनु 163- राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद् होगा।
There will be a Council of Ministers in the state to advise and assist the Governor.

राज्यपाल के पास अपनी विवेकाधीन शक्ति होगी। The Governor will have his discretionary power.

↳ राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी

अनु 164-राज्य के मंत्री परिषद् का गठन - Formation of State Council of Ministers

1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जायेगा। विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही राज्य का मुख्य मंत्री होगा , अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करेगा। The Chief Minister will be appointed by the Governor. The leader of the majority party in the Legislative Assembly will be the Chief Minister of the state, the Governor will appoint other ministers on the advice of the Chief Minister.

2. राज्य का मंत्री परिषद् विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। **The State Council of Ministers will be responsible to the Legislative Assembly.**

योग्यता - Qualification

- विधान सभा
→ विधान परिषद् → 6 राज्यों में हैं
- UP
→ बिहार → महाराष्ट्र
→ कर्नाटक
→ AP
→ तेलंगाना
1. विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो। **Must be a member of any one of the two houses of the Legislature.**
 2. यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तब भी मंत्री पद धारण कर सकता है , लेकिन 6 माह के भीतर किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य। **Even if he is not a member of any house, he can still hold the post of minister, but it is mandatory to become a member of any one house within 6 months.**

मंत्री परिषद् की संरचना - Composition of Council of Ministers -

3 प्रकार के मंत्री हैं।

Composition of Council of Ministers - There are 3 types of ministers.

विधान सभा के
कुल सीटों का
आधे से।
अधिक

- ✓ 1. कैबिनेट मंत्री (मुख्यमंत्री सहित) **Cabinet Minister (including Chief Minister)**
 2. उप मंत्री **Deputy Minister**
 - ✓ 3. राज्य मंत्री **Minister of State**
- कैबिनेट में शिधामंत्री - (A) रिक्त
→ राज्य में शिधामंत्री - (B) → स्वतंत्र प्रभार
- राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार **Minister of State with Independent**

मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

राज्य में उपर्युक्त मंत्रियों की संख्या (12) (45-4) → SSC CGL

→ महान्यायवादी —
 → विधानमंडल → संसद
 → HC → SC
 → राजपथेतर — भारत धेतर
 → राजपाल — राष्ट्रपति
 165 — 76

महाधिवक्ता - Advocate General

महाधिवक्ता - Advocate General

अनु 165 - राज्य को विधिक मामले में सलाह एवं सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा। There will be an Advocate General to give advice and assistance to the state in legal matters.

यह राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होगा। He will be the first legal officer of the state.

योग्यता **Qualification** - उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाने योग्य व्यक्ति। A person eligible to be made a judge in the High

नियुक्ति **Appointment**- राज्यपाल के द्वारा By the Governor

कार्यकाल Tenure - -

1. राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त During the pleasure of the Governor
- 2 - इससे पहले राज्यपाल को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। Before this, he can resign by submitting his resignation to the Governor.

कार्य / शक्ति - Functions / Powers -

1. यह राज्य सरकार के पक्ष से राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में बहस कर सकता है। He can argue on behalf of the state government in any court within the state territory.
2. विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, चर्चा बहस कर सकता है। Even though he is not a member of any house of the legislature, he can participate in the proceedings of the house, can discuss and debate.

प्रस्तावना



KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING

